मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 7, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 एवं 2) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 175 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 203 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रश्न संख्या 2 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में प्रवेश किया एवं नारेबाजी की गई.

व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्वाह्न 11.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11:45 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

3. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण ने गर्भगृह में आए और नारेबाजी की गई.

व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्वाह्न 11.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही 12.00 तक के लिए स्थगित की जाकर 12:05 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

4. बहिर्गमन.

धिरौली कोयला ब्लॉक में अनियमितता संबंधी प्रश्न पर श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा उनकी बात न सुने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

5. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से की गई घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 15 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. तद्नुसार निम्नलिखित सूचनायें पढी गईं :-

(1)	श्री मधु भगत, सदस्य ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन हेतु ग्रामीण एवं शहरी श्रद्धालुओं को सहज, सुलभ तथा नि:शुल्क सुविधा प्रदान किये जाने एवं
(2)	श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, सदस्य ने आष्टा विधान सभा क्षेत्रातंर्गत स्थित सेल मैन्यूफैक्चरिंग प्रा.लि. कंपनी बंद हो जाने से उत्पन्न स्थिति.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री** ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन, ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2024-2025 पटल पर रखे.

(2) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** ने महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा.

7. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य** ने रीवा जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितता के दोषियों से वसूली एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज न किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **श्रीयुत श्रीकान्त चतुर्वेदी, सदस्य** ने प्रदेश में शाला भवनों के रख-रखाव में बरती जा रही उदासीनता से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) **श्री शिवनारायण ज्ञान सिंह, सदस्य** ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार दिनांक 27 फरवरी,2026	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-14)	श्री घनश्याम चन्द्रवंशी	30 मिनट
2. (क्रमांक-15)	इंजी. प्रदीप लारिया	30 मिनट
3. (क्रमांक-23)	श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे	30 मिनट

श्री शिवनारायण ज्ञान सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अष्टम् प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) **श्री भंवर सिंह शेखावत, सभापति** ने लोक लेखा समिति का अठासीवां से एक सौ सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) **श्री भंवर सिंह शेखावत, सभापति**, लोक लेखा समिति ने प्राक्कलन समिति का नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**दतिया)
(2) **श्री भगवानदास सबनानी (जिला-**भोपाल)
(3) **श्री केशव देसाई (जिला-**भिण्ड)
(4) **श्री विश्वामित्र पाठक (जिला-**सिंगरौली)
(5) **श्री बृजबिहारी पटैरिया (जिला-**सागर)
(6) **श्री दिव्यराज सिंह (जिला-**रीवा)
(7) **श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-**सिवनी)
(8) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार)
(9) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-**अनूपपुर)
(10) **श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-**मण्डला)
(11) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-**धार)
(12) **डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-**ग्वालियर)
(13) **श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-**अनूपपुर)
(14) **श्री श्याम बरडे (जिला-**बड़वानी)
(15) **श्री उमाकांत शर्मा (जिला-**विदिशा)
(16) **श्री मथुरालाल डामर (जिला-**रतलाम)
(17) **श्री राजकुमार मेव (जिला-**खरगोन)
(18) **श्री विपीन जैन (जिला-**मंदसौर)
(19) **श्री केदार चिड़ाभाई डाबर (जिला-**खरगोन)
(20) **श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-**अलीराजपुर)
(21) **श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-**छतरपुर)
(22) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-**सागर)
(23) **श्री प्रहलाद लोधी (जिला-**पन्ना)
(24) **श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-**बालाघाट)
(25) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-**रतलाम)
(26) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला-**दतिया)
(27) **श्री भैरो सिंह बापू (जिला-**आगर-मालवा)
(28) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-**सीहोर)
(29) **श्री मोंटू सोलंकी (जिला-**बड़वानी)
(30) **श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-**छिंदवाड़ा)

(31) श्री ऋषि अग्रवाल (जिला-गुना)
(32) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(33) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(34) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(35) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
(36) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(37) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-नरसिंहपुर)
(38) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-शहडोल)
(39) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(40) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)
(41) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(42) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(43) श्री अरविन्द पटैरिया (जिला-छतरपुर)
(44) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला-छतरपुर)
(45) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(46) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(47) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)
(48) श्रीमती रीती पाठक (जिला-सीधी)
(49) श्री अनिल जैन (निवाड़ी) (जिला-निवाड़ी)
(50) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(51) श्री महेन्द्र नागेश (जिला-नरसिंहपुर)
(52) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(53) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(54) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(55) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(56) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(57) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(58) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके (जिला-बैतूल)
(59) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(60) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(61) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(62) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(63) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे (जिला-खण्डवा)
(64) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(65) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(66) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(67) श्री देवेन्द्र पटेल (जिला-रायसेन)
(68) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)
(69) श्री नीरज सिंह ठाकुर (जिला-जबलपुर)
(70) कुँवर अभिजीत शाह (जिला-प्रदेश के समस्त जिले)

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक (क्रमांक 3 सन् 2026) पुर:स्थापित किया.

11. नियम 169 के अंतर्गत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मैंने नियम 169 के अंतर्गत श्री केशव देसाई, सदस्य द्वारा सीएचएस एप्पल हास्पिटल गीता कालोनी, हास्पिटल रोड ग्वालियर के श्री अंकित यादव एवं श्री अमित यादव के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार भंग सूचना को विशेषाधिकार समिति को जांच एवं अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु सौंप दिया है.

12. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप-मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(1)	अनुदान संख्या – 019	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए बाईस हजार तीन सौ बासठ करोड, सात लाख, दस हजार रूपये,
		तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

13. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होने विषयक

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि, '' आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था लॉबी में की गई है, माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर सकते है.''

14. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

(2) श्री भंवर सिंह शेखावत
(3) श्री राजेन्द्र मेश्राम
(4) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(5) श्री हरिशंकर खटीक
(6) श्री मोहन सिंह राठौर
(7) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल

{सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं}

(8) श्री दिनेश जैन बोस
(9) श्री कैलाश कुशवाह
(10) डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय
(11) डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह
(12) श्री विपिन जैन
(13) डॉ. अभिलाष पाण्डेय
(14) श्री विवेक विक्की पटेल
(15) श्री गौरव सिंह पारधी
(16) श्रीमती प्रियंका पैंची
(17) श्री सुरेश राजे
(18) श्री विजय रेवनाथ चौरे
(19) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(20) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
(21) डॉ.योगेश पण्डाग्रे

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

(22) डॉ. हिरालाल अलावा
(23) श्री भगवान दास सबनानी
(24) श्री कमलेश्वर डोडियार
(25) श्री उमंग सिंघार

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप-मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया.

15. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि एवं स्वल्पाहार विषयक

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप-मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के उत्तर के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची के पद 6 के उप पद (3) में अंकित मांग संख्या पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये. सदन की लॉबी में चाय की व्यवस्था है. माननीय सदस्य अपनी सुविधा से चाय ग्रहण कर सकते है.

16. वर्ष 2026-2027 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. अध्यक्षीय घोषणा

कार्य सूची के पद 6 अनुदानों की मांगों पर मतदान के उप पद (2) व (3) की मांग संख्याओं को एक साथ चर्चा हेतु लिये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची के पद 6 अनुदान की मांगों पर मतदान के उप पद (2) व (3) में उल्लिखित मांग संख्याओं को एक साथ चर्चा हेतु लिये जाने का निर्णय लिया है. मेरे द्वारा पुकारे जाने पर उक्त मांगों से संबंधित माननीय मंत्रीगण अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा सभा के माननीय सदस्य प्रस्तुत प्रस्तावों पर संयुक्त रूप से चर्चा करेंगें.

श्री इन्दर सिंह परमार, मंत्री, उच्च शिक्षा ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(2)	अनुदान संख्या – 044	उच्च शिक्षा के लिए चार हजार दो सौ छियालीस करोड, सत्तर लाख, तिरानवे हजार रूपये,
	अनुदान संख्या – 038	आयुष के लिए एक हजार दो सौ नौ करोड, अडसठ लाख, इक्कीस हजार रूपये एवं
	अनुदान संख्या – 047	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए दो हजार नौ सौ इक्कतीस करोड, पचपन लाख, अठारह हजार रूपये,
		तक की राशि दी जाय.

श्री उदय प्रताप सिंह, मंत्री, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(3)	अनुदान संख्या – 027	स्कूल शिक्षा के लिए छत्तीस हजार छह सौ छियानवें करोड, सत्यान्वें लाख, सैतीस हजार रूपये एवं
	अनुदान संख्या – 036	परिवहन के लिए दो सौ उनतीस करोड, इकतालीस लाख, तिरसठ हजार रूपये,
		तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

(2) चौधरी सुजीत मेर सिंह
(3) श्री हरिशंकर खटीक

(4) श्री राजन मण्डलोई
(5) श्री ठाकुरदास नागवंशी
(6) श्री साहब सिंह गुर्जर
(7) श्री बाबू जण्डेल
(8) श्री विपिन जैन
(9) श्री मोहन सिंह राठौर

{सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं}

(10) डॉ. रामकिशोर दोगने
(11) श्री महेश परमार
(12) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
(13) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(14) श्री दिनेश गुर्जर
(15) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

(16) श्री कमलेश्वर डोडियार
(17) श्री सुरेश राजे
(18) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती)
(19) श्री विवेक विक्की पटेल
(20) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
(21) श्री मधु भगत
(22) श्री अमर सिंह यादव
(23) श्री केदार चिडाभाई डाबर
(24) श्री उमंग सिंघार

श्री इन्दर सिंह परमार, मंत्री, उच्च शिक्षा, श्री उदय प्रताप सिंह, मंत्री, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन तथा श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास एवं रोजगार ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए
मांगों के प्रस्ताव स्वीकृत हुए

अपराह्न 09:42 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 8, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक: 26 फरवरी, 2026